12.12.2023— पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित प्रतिवादीगण को बार बार आवाजे दिलवाई गई इसके बावजूद भी उपस्थित नही आज नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस के दोरान वादपत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1947 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 6991/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 6994/1 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 6996/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 6999/1 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 7000/2 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है, जिसमें वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुपात में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लडाई झगडा होता रहता है; वादी अपने 1/5 हिस्से के आधार पर खाता अलग कर लगान अलग तय करवा विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी अपने हक व हिस्से का मौके एवं रेकार्ड के अनुसार विभाजन कराने की इस्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1947 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 6991/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 6994/1 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 6996/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 6999/1 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 7000/2 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि में वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण का 1/5 हक हिस्सा की आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2073—2076 की प्रस्तुत की है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतएंवः

—: आदेश :—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 6991/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 6994/1 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 6996/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 6999/1 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 7000/2 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार भीलवाड़ा पक्षकारान की उपस्थिति में उक्तानुसार विभाजन बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 02.02.2024 को वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पेश हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

12.04.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 गंगाबाई की मृत्यु हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान लादी, विमला, राजू पुत्री देवी जाट, रतनलाल पुत्र देवी जाट है इनके अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नही है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 पहले से ही पक्षकार संयोजित है, रतनलाल जाट को प्रतिवादी संख्या 06 के रूप में पक्षकार संयोजित कराये जाने की प्रार्थना की है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का स्वीकार किया जाकर मृतका प्रतिवादी संख्या 04 के विधिक वारिसान लादी, विमला, राजू पुत्री देवी जाट प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 पहले से ही पक्षकार संयोजित होने से रतनलाल पुत्र देवी जाट को कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 4/1 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी की तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस करनी चाही वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एक बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 व 4/1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 व 4/1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 व 4/1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. वादी श्री नारायणलाल पुत्र केदारमल लढा हिस्सा पुर्ण सा0 भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6991/3	0.0430	—
6996/3	0.0531	—
7000/3	0.0355	—
किता–03	0.1316 हैक्टेयर	—

2. प्रतिवादीगण राजु पुत्री देवी 5/16, लादी पुत्री देवी 5/16, विमला पुत्री देवी 5/16, रतन पुत्र देवी हि. 1/16 जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6991/1	0.0835	—
6999/1	0.0885	—
7000/2	0.1415	—
6996/1	0.0101	—
6994/1	0.2023	—
किता–05	0.5259 हैक्टेयर	—

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1–नारायणलाल पिता केदारमल लढा निवासी रमेशचन्द्र व्यास कॉलोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा।
—वादी

बनाम

1–श्रीमति लादी पुत्री देबी जाट निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2–श्रीमति कमला पुत्री देबी जाट निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3–श्रीमति राजू पुत्री देबी जाट निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4–श्रीमति गंगा बाई पत्नि देबी जाट मृतक के बजाय
4/1–रतनलाल पिता देबी जाट निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। —प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 12/2021 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादीगण की ओर से में– इस वाद में आज तारीख 12.04.2024 को पीठासीन अधिकारी आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है –

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 एवं 4/1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 व 4/1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. वादी श्री नारायणलाल पुत्र केदारमल लढा हिस्सा पुर्ण सा0 भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6991/3	0.0430	–
6996/3	0.0531	–
7000/3	0.0355	–
किता–03	0.1316 टेयर	–

2. प्रतिवादीगण राजु पुत्री देवी 5/16, लादी पुत्री देवी 5/16, विमला पुत्री देवी 5/16, रतन पुत्र देवी हि. 1/16 जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
6991/1	0.0835	–
6999/1	0.0885	–
7000/2	0.1415	–
6996/1	0.0101	–
6994/1	0.2023	–
किता–05	0.5259 हैक्टेयर	–

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Ahad
(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा